

न्यायालय उप जिला कलेक्टर रोडनाम

नांक

फर्द अहकाम

मु० नं 32/17 तारीख रजू 5-6-17

उजवान-गिरजिबनाम हरिको पहाड़ी

प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री सुरेशचन्द्र शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया।

प्रार्थनापत्र व जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी व कील को एक तरफा बहस सुनी गयी।

मामला प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है।

अतः जेबसायल को अन्तर्निम्न अस्थायी निषेधाज्ञा

संपाबन्ध किया जाता है कि ग्राम पहाड़ी के आराजी

ख. नं 456, 2688, 2702, 2708, 2709, 2710, 2720, 2963 कुलकित 8 कुल रकबा 2.27 है।

0.40, 0.44, 0.30, 0.20, 0.07, 0.07, 0.37, 0.42

ग्राम में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे। प्रार्थनापत्र

दर्ज रजिस्टर कर अ प्रार्थीगण को जरिये नोटिस

से तलब कर दिनांक 13.7.17 को पेश हो।

उपजिला कलेक्टर
रोडनाम (करीबी)

12.7.17




प्रार्थी वकील उप०। अ प्रार्थीगण बाबजूद सूचना उप० नहीं है, 1.0.17. भीगिं में पधारें हैं वाले भगिम

आदेश दि० 3.8.17 को पेश हो।

रीड

2083-90
5-6-17

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

5	फर्द अहकाम	
	<p><u>9.3.18</u> वकूलाय उप०। जबाब प्रस्तुत करने पुनः समय चाहा। जबाब प्रस्तुत करने पर यह समय दिया जा चुका है। अब जबाब पेश करने 'अतिम मौका' दिया जाता है। दिनांक 6.4.18 को पेश हो।</p> <p><u>6.4.18</u> वकूलाय उप०। जबाब पेश करने दिनांक 4.5.18 को पेश हो।</p> <p><u>4.5.18</u> राजस्थान राजस्व लोक अदालत सिविल... प्रत/18 दिनांक... 30.5.18... को पेश हो।</p>	
	<p><u>30.5.18</u> पत्रावली राजस्व लोक अदालत - थाय आपेक्षा शिवि पहरी में पेश हुई। अथ पक्षधरो द्वारा शर्जीनामा प्रस्तुत करने से मूल दावा खिंची क्रिया गया है इस शर्जना पत्र में आगे कार्यवाही जारी रखना उचित नहीं होने से प्रकाश इसी हवा पर निस्तारित क्रिया जाता है पत्रावली फैसल शरण होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।</p> <p>उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)</p>	<p>गिरिजामाता</p>  <p>शिवि</p>  <p>श्यामलाल विजय</p>  <p>शिवधर</p> 